मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2001 (भाद्र 23, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष का -

(क) क्रमांक-2 (वाणिज्यिक),

(ख) क्रमांक-3 (सिविल), तथा

(ग) क्रमांक-4 (सिविल),

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा-11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-83-2000-तेईस-यो-दो, दिनांक 28 मार्च, 2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) की धारा-11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-99-पच्चीस-5, दिनांक 14 जुलाई, 2000 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में स्थित हरसी बांध की नहरों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजमणि पटेल, सदस्य, रीवा जिले के डभौरा तथा सेमरिया क्षेत्रों में डकैतों का आतंक होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री अनूप मिश्रा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, भोपाल के न्यू मार्केट स्थित सब-वे में दुकानों के आवंटन में अनियमितता होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, देवास जिले के पीपलनौरिया में एक आदिवासी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, दमोह में गृह निर्माण मंडल द्वारा आश्रयहीन योजना के तहत भू-खण्ड आवंटन में अनियमितता होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री चिड़ाभाई डाबर, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम रासखेड़ी में दो महिलाओं के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सुश्री कौशल्या गोंटिया, सदस्य, जबलपुर जिले के पनागर विकास खंड में निर्मित बलेहा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्य मंत्री, जल संसाधन का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(8) सर्वश्री धरमू राय, मुन्नासिंह, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, गुना जिले में उल्टी-दस्त व बुखार से आदिवासी बच्चों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, भोपाल स्थित केन्द्रीय जेल में उपचार के अभाव में कैदी की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नरेन्द्र बिरथरे, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल एवं समीप के जिलों में मलेरिया व आंत्रशोथ का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रावदेशराज सिंह यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम कजिया निवासी एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, भोपाल में मुरैना क्षेत्र के विधायक पर हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम रतनपुर अंबरिया में एक आदिवासी बालक का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, सीहोर में एक हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) कुंवर विजयबहादुर सिंह बुंदेला, सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), रसाल सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम घटहरी निवासी एक व्यक्ति की पुलिस प्रताड़ना से मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के राहतगढ में लूट की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य, बालाघाट जिले के -
(क) ग्राम रामपायली व मोहगांव के बीच चन्दन नदी पर रपटा बनाये जाने,
(ख) ग्राम डोंगरमाली में पुलिस चौकी खोले जाने, तथा
(ग) वारासिवनी नगर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(2) श्री सोबरन सिंह बाबूजी, सदस्य, भिण्ड जिले के -
(क) लहार नगर में तहसील भवन बनाये जाने,
(ख) लहार नगर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) लहार नगर में न्यायालय भवन बनाये जाने,

(3) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ जिले के पलेरा नगर स्थित शासकीय कन्या हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(4) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -
(क) नागोद-सलेहा मार्ग का निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम झिगोंदर से कारी माटी (बेरहाई) मार्ग में अमरन नदी पर स्टाप डैम बनाये जाने,

(5) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य, रीवा जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटपरा का उन्नयन कराये जाने,

(6) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के ग्राम देवरछी में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला का भवन बनाये जाने,

(7) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -
(क) ग्राम बोरास में नर्मदा नदी पर पुल बनाये जाने,
(ख) उदयपुरा कस्बे की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ग) उदयपुरा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने,

(8) श्री देवसिंह सैयाम, सदस्य, मण्डला जिले के -
(क) ग्राम पिण्डरई में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम बीजेगांव-झूलपुर के बीच बने बांध पर झूला पुल का निर्माण कराये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

निर्धारित समय

6. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि सतना-रीवा रेल लाइन को मिर्जापुर तक बढ़ाया जाय."

(2) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि डूब क्षेत्र में आने वाली जमीनों के लिए प्रदत्त मुआवजा राशि जो बैंकों में जमा होती है, यदि मुआवजा प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस राशि का अधिकार प्राप्त करने के लिए वारसान (सक्सेशन) सर्टिफिकेट देने का अधिकार जिला कलेक्टर या एस.डी.एम. को दिये जाने हेतु नियमों में संशोधन किया जाय."

(3) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि शालेय शिक्षा विभाग के अंतर्गत शालेय शिक्षा अनुदान आयोग का गठन किया जाय."

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 सितम्बर, 2001